UPLK010004662026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ

पीठासीन अधिकारी–मलखान सिंह, एच.जे.एस.

दाण्डिक निगरानी सं०–15/2026

भार्गवी इण्टरप्राइजेज द्वारा प्रोपराइटर लोकेन्द्र विक्रम सिंह, पुत्र श्री इन्द्र विक्रम सिंह, निवासी–32, श्री राम कुन्ज कॉलोनी, फरीदी नगर, सीमैप, थाना–इन्दिरा नगर, जिला–लखनऊ 226015

––––––निगरानीकर्ता।

बनाम

1. **उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ**
2. **बी.पी.आई. सोलर एनर्जी द्वारा प्रोपराइटर कुँवर अनूप सिंह** पुत्र श्री विजय पाल सिंह निवासी–ग्राम–हसनपुर टेनी, थाना–अखण्ड नगर, जिला–सुल्तानपुर–171119, कार्यालय–18289, ग्राम–बहननपुरवा, थाना–विभूतिखण्ड, गोमती नगर, जिला–लखनऊ–226010

––––––विपक्षीगण।

निर्णय

1. यह दाण्डिक निगरानी धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत, विद्वान अतिरिक्त न्यायालय सं०–5, लखनऊ द्वारा परिवाद सं०–120120/2023 भार्गवी इन्टरप्राईजेज बनाम बी.पी.आई. सोलर एनर्जी, अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. ऐक्ट, थाना–गाजीपुर, लखनऊ में पारित आदेश दिनांकित 31.08.2024, जिसके माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/परिवादी का उपरोक्त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति/अदम पैरवी में निरस्त किया गया है, के विरुद्घ योजित की गयी है।

2. संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी की फर्म भार्गवी इन्टरप्राईजेज द्वारा विपक्षी सं०–2 को एक लाख तिरान्नबे हजार नौ सौ चालीस रूपये के सोलर एनर्जी के कलपुर्जो की आपूर्ति की गयी, जिसके एवज में धनराशि 44,940/–रु० की अदायगी हेतु चेक सं०–000007, रु० 44,940/– दिनांकित 04.06.2023 एच.डी.एफ.सी. बैंक, प्रदान किया गया, जो दिनाँक 16.08.2023 को अपर्याप्त धनराशि के इन्द्राज के साथ अनादरित हो गया तथा अभियुक्त के कहने पर पुनः उक्त चेक दिनांक 28.08.2023 को बैंक में लगाने पर पुनः अपर्याप्त धनराशि के इन्द्राज के साथ अनादरित हो गयी। विपक्षी को नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान नहीं मिला, इसलिए परिवादी द्वारा उक्त परिवाद न्यायालय में योजित किया गया, जो परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० हेतु नियत था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2024 को परिवादी की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया।

3. निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में यह आधार लिया गया है कि उक्त परिवाद में न तो परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० अंकित किया गया और न ही धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कोई अन्य साक्ष्य ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। परिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये तथा मामले के निस्तारण हेतु साक्ष्यों का सही आंकलन कराया जाना आवश्यक है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को समझने में त्रुटि की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुमान पर आधारित है एवं साक्ष्य से समर्थित नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद के गुणदोष पर ध्यान न

देकर अपने विवेक का गलत तरीके से प्रयोग कर विधि–विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी को अंतिम अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। परिवादी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी, अपितु उसकी बीमारी व पिता की बीमारी एवं पत्नी की मेटरनिटी की वजह से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः निगरानी स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.08.2024 अपास्त किया जाये।

4. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विपक्षी सं०–2 की ओर से वकालतनामा पत्रावली पर दाखिल है, किन्तु विपक्षी सं०–2 की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं आया और पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी।

5. निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का धारा 138 एन.आई. एक्ट का परिवाद मात्र परिवादी की अनुपस्थिति के आधार पर निरस्त कर दिया गया, जबकि प्रकरण में तलबी बहस पर सुना गया था तथा पत्रावली आदेश हेतु नियत थी। मात्र अनुपस्थिति के आधार पर परिवाद को समाप्त करना विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, विशेषकर तब जब अनुपस्थिति के कारण पारिवारिक एवं चिकित्सकीय परिस्थितियाँ थीं, जिन्हें न्यायालय द्वारा समुचित रूप से विचारित नहीं किया गया। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधि–विरुद्ध है, जिसे निरस्त किया जाये।

विपक्षी सं०–1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन करने के उपरान्त निगरानीकर्ता/परिवादी की अनुपस्थिति में परिवाद निरस्त किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिपूर्ण है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाये।

6. प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि संदर्भित परिवाद में अभियुक्त को अभी तक विचारण न्यायालय द्वारा तलब नहीं किया गया था तथा परिवाद को तलबी–पूर्व अवस्था (pre-summoning Stage) में ही परिवादी की अनुपस्थिति के आधार पर ख़ारिज किया गया है। अतः इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि **क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 अंतर्गत दाखिल परिवाद को केवल परिवादी की अनुपस्थिति के आधार पर तलबी–पूर्व स्तर पर ख़ारिज किया जा सकता है?**

7. उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 परिवादी की अनुपस्थिति या मृत्यु की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करती है। किंन्तु धारा 256 दं०प्र०सं० तलबी–पूर्व स्तर में लागू नहीं होती, क्योंकि यह तभी लागू होती है जब अभियुक्त को तलब कर लिया गया हो। **Associated Cement Co Ltd. Vs. Keshavanand, (1998) 1 SCC 687** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धारा 256 दं०प्र०सं० के तहत निरस्तीकरण का प्रयोग तभी संभव है जब अभियुक्त प्रक्रिया में सम्मिलित हो चुका हो। चूँकि वर्तमान वाद में कोई प्रॉसेस जारी नहीं हुई थी, अतः परिवादी की अनुपस्थिति के आधार पर परिवाद को ख़ारिज करने का अधिकार विधितः न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं था।

इसके अतिरिक्त, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 145 स्पष्ट रूप से परिवादी को तलबी–पूर्व एवं तलबी–पश्चात्, दोनों अवस्थाओं में शपथ–पत्र द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। **Indian Bank Association Vs Union of India, (2014) 5 SCC 592** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि एन. आई. एक्ट के वाद सामान्यतः शपथ–पत्र के आधार पर आगे बढ़ने चाहिए तथा व्यक्तिगत उपस्थिति पर ज़ोर नहीं होना चाहिए। **Ajeet Seeds Ltd. V. Gopala**

Krishnaiah, (2014) 12 SCC 685 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि एक बार परिवादी का शपथ–पत्र एवं दस्तावेज अभिलेख पर आ जाने के बाद मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह उन सामग्रियों पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करे और मात्र परिवादी की अनुपस्थिति के आधार पर यांत्रिक रूप से वाद को निरस्त किया जाना अनुचित है। इसी प्रकार, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का द्वारा **Rajesh Agarwal Vs. State, 171 (2010) DLO 51** तथा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **S. Anand V. Vasumathi, 2015 SCC OnLine Mad 10040** में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब अभिलेख पर पहले से ही साक्ष्य मौजूद हों, तब न्यायालय तलबी–पूर्व स्तर पर अनुपस्थिति के आधार पर परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. ऐक्ट को खत्म नहीं कर सकती।

वस्तुतः, परक्राम्य लिखत अधिनियम का उद्देश्य वाणिज्यिक लेन–देन की विश्वसनीयता की रक्षा करना है। तकनीकी आधार पर प्रारंभिक चरण में शिकायत को ख़ारिज करना अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक दृष्टांतों में यह कहा है कि प्रक्रिया संबंधी नियम न्याय को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं।

8. प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में इस निगरानी न्यायालय के सुविचारित अभिमत में विचारण न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध शपथ–पत्र एवं दस्तावेजों पर विचार कर तलब किए जाने के प्रश्न का निर्णय करना चाहिए था, जबकि केवल अनुपस्थिति के आधार पर परिवाद ख़ारिज किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश विधि–विरुद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। तदनुसार यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत निगरानी **स्वीकार** की जाती है। आक्षेपित आदेश दिनांकित 31.08.2024 अपास्त किया जाता है। परिवाद को उसके मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में परिवाद में विधि–अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करे।

निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को नियमानुसार प्रेषित की जाये।

निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मलखान सिंह)
दिनांकः 22.06.2026 **सत्र न्यायाधीश,**
लखनऊ

यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

(मलखान सिंह)
दिनांकः 22.06.2026 **सत्र न्यायाधीश,**
लखनऊ

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.07.01 12:57:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court